अपील विरूद्ध योग्य अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत टोरडा तह0 सिकराय पंचायत समिति सिकराय जिला दौसा निर्णय दिनांक 05.09.2005 बाबत नामान्तकरण संख्या 971 दिनांक 05.09.2005 वाके ग्राम टोरडा तह0 सिकराय पंचायत समिति सिकराय जिला दौसा।

अपीलाण्टस की ओर से श्री राकेश जैमन एड0

रेस्पोडेण्टस की ओर से श्री अमरनाथ शर्मा एड0

निर्णय **निर्णय दिनांक** 28/07/25

पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि न्यायालय हाजा के समक्ष अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 971 ग्रा0प0 टोरडा पेश की गई जिसके तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलाधीन नामान्तकरण से संबंधित विवादित भूमि ग्राम टोरडा तह0 सिकराय वर्तमान तह0 बहरावण्डा जिला दौसा में स्थित है जिसके साबिक खसरा नम्बर 1512 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 2004 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा कुल किता दो कुल रकबा 13 बीघा 4 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 1766 रकबा 7 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 2032 रकबा 12 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 2038 रकबा 12 बिस्वा कुल किता तीन कुल रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 2033, 1995, 639 आदि है। जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 2659, 2660, 2968, 3251, 3280, 3281, 3282, 3241, 3283, 3288 आदि है। यह है कि अपीलाधीन नामान्तकरण से संबंधित विवादित भूमि के मूल खातेदार कल्याण सहाय पुत्र मुथरालाल उर्फ मथुरालाल जाति ब्राहम्ण निवासी टोरडा तह0 सिकराय रहे है जो कि उक्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काबिज काश्तकार रहे है। उक्त विवादित भूमि के मूल खातेदार कल्याण सहाय पुत्र मुथरालाल उर्फ मथुरालाल अपीलाण्टस के पिता है। यह है कि मूल खातेदार कल्याण सहाय पुत्र मुथरालाल उर्फ मथुरालाल की पत्नि तीजो का स्वर्गवास हो गया है मूल खातेदार कल्याण सहाय पुत्र मुथरालाल उर्फ मथुरालाल का भी स्वर्गवास हो चुका है। मूल खातेदार कल्याण के 7 वारिस 3 पुत्र तथा 4 पुत्री है जो कि चेतन कुमार, नाथूलाल, बाबूलाल, शान्ति, कमला, सरोज, विमला है। मूल खातेदार कल्याण पुत्र मुथरालाल उर्फ मथुरालाल की फौतगी के बाद योग्य अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत टोरडा ने कल्याण सहाय पुत्र मुथरालाल उर्फ मथुरालाल की विरासत का अपीलाधीन नामान्तकरण अपीलण्टस को बिना सुने बिना नोटिस दिये बिना पक्षकार बनाये सम्पूर्ण वारिसान की जांच किए बिना व बिना सहमति के व इकतरफा में कानून को ताक में रखते हुए संवैधानिक तरीके से केवल नाथूलाल बाबूलाल चेतन कुमार तीजो के पक्ष में नामान्तकरण खोल दिया और अपीलाण्टस के पक्ष में तथा रेस्पोडेण्टस संख्या 4 एवं 5 के पक्ष में नामान्तकरण नहीं खोला जबकि कानूनन अपीलाण्टस शान्ति देवी, कमला, एवं रेस्पोडेण्टस सरोज, विमला के नाम भी विरासत का नामान्तकरण खोला जाना

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

चाहिए था अपीलाधीन नामान्तकरण बिना क्षेत्राधिकार के किया है इसलिए निर्णय निरस्तनीय है। इसके पश्चात रूकमणी के हक में अवैधानिक रूप से अपीलाधीन नामान्तकरण करके कानूनी गलती की है इसलिए निर्णय निरस्तनीय है। जब मूल नामान्तकरण संख्या 668 ही नल एण्ड वाईड है व निरस्त किये जाने योग्य है ऐसी स्थिति में इसके बाद उक्त भूमि के रूकमणी के हक में खोला गया अपीलाधीन नामान्तकरण स्वतः ही निरस्तनीय है इसलिए निर्णय निरस्तनीय है। इसके पश्चात उक्त विवादित भमि में से नाथूलाल, बाबूलाल, चेतन कुमार पिसरान कल्याण सहाय व तीजो बेवा कल्याण सहाय ने अवैधानिक रूप से विवादित भूमि साबिक खसरा नम्बर 1766, 2032, 2038, 1512, 2004 वाके ग्राम टोरडा तहसील सिकराय का बयनामा दिनांक 12.05.2005 को रेस्पोडेण्ट संख्या 1 रूकमणी देवी के नाम करा दिया। उक्त अवैधानिक रूप से कराये गये बयनामा के आधार पर ग्राम पंचायत टोरडा ने अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 971 दिनांक 05.09.2005 को दर्ज कर दिया। उक्त विवादित भूमि में अपीलाण्टस का हित निहित है फिर भी योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस को बिना पक्षकार बनाये व बिना सुने ही एक तरफा में अवैधानिक तरीके से बयनामा व अपीलाधीन नामान्तकरण किया है अपीलाण्टस एग्रीवड परसन है। अपीलाण्टस को अपीलाधीन निणय के विरूद्ध अपील पेश करने का पूर्ण अधिकार है। अतः अपील अपीलाण्टस स्वीकार की अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 971 निर्णय दिनांक 05.09.2005 वाके ग्राम टोरडा तह बहरावण्डा जिला दौसा को निरस्त किया जावे।

अपीलाण्टस द्वारा अपीला नामान्तकरण के साथ प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद भी पेश किया गया है जिसके तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलाधीन नामान्तकरण एवं निर्णय दिनांक 05.09.2005 की अपीलण्टस को कतई जानकारी नहीं थी, अपीलाधीन नामान्तकरण अपीलाण्टस को बिना सुने बिना नोटिस दिये बिना सहमति के इकतरफा में किया गया है। इसलिए जो नामान्तकरण प्रारम्भ से ही कलेअदम बेअसर प्रभावहीन एवं काननून शून्य है और ऐसे शून्य नामान्तकरण की अपील के लिए कानून कोई मियाद नियत नही है। दिनांक 19.06.2023 को चेतन कुमार पुत्र कल्याण सहाय ने अपीलाण्ट को ऐलानिया कहा कि तुम्हारे हक हिस्से एवं कब्जेकाश्त की उक्त विवादित भूमि को हमारे नाम दर्ज करा ली एवं अब उक्त भूमि को हमने रूकमणी के नाम दर्ज करा दी है अब तुम्हारे हक हिस्से की भूमि से बेदखल करेंगे। इस पर अपीलाण्टस ने तहसील कार्यालय बहरावण्डा में दूसरे ही दिन दिनांक 20.06.2023 को जाकर पता किया तो अपीलाण्ट को सर्वप्रथम दिनांक 20.06.2023 को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई। इसलिए शून्य नामान्तकरण के विरूद्ध अपील पेश करने के लिए कानूनन कोई मियाद नियत नहीं है फिर भी रफाये हुज्जत के लिए प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद मय शपथ पत्र पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

इत्यादि पर अपीलाण्टस की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्टस की तलबी विधिवत जारी की गई। रेस्पोडेण्टस संख्या 1, 5 एवं 6 की ओर से श्री अमरनाथ शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। शेष बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलाण्टस अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया कि विवादित भूमि अपीलाण्टस की पिता की खातेदारी भूमि रही है जिसमें हिन्दू उत्तराधिकारी नियमानुसार अपीलाण्टस का हक हिस्सा है लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा बिना अपीलण्टस को सुनवाई का समुचित अवसर दिए, बिना नोटिस दिए एकपक्षीय नामान्तकरण दर्ज कर दिया जो कि निरस्तनीय है। साथ ही दफा 5 पर निवेदन किया कि अपीलाण्टस को उक्त नामान्तकरण की जानकारी होने की दिनांक से अपीलाण्ट की अपील मियाद में है तथा शून्य नामान्तकरण के विरूद्ध अपील पेश करने के लिए कानूनन कोई मियाद नियत नहीं है इसलिए अपीलाण्टस द्वारा पेश मियाद अधिनियम दफा 5 प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाण्टस की अपील स्वीकार की जावे एवं विचाराधीन नामान्तकरण निरस्त किया जावे। रेस्पोडेण्टस की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस अपीलाण्टस की अपील तथा बहस में किए गए कथनों का पुरजोर विरोध किया तथा निवेदन किया कि अपीलाण्टस द्वारा झूठे तथा मनगढन्त तथ्यों के आधार पर अपील पेश की गई है अपीलाण्टस का विवादित आराजी में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा नहीं है तथा पेश की गई अपील भी मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। इसलिए अपील विरूद्ध नामान्तकरण खारिज की जावे एवं विचाराधीन नामान्तकरण को यथावत रखा जावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया, पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अपीलाण्टस द्वारा ग्राम टोरडा द्वारा नामान्तकरण संख्या 971 में पारित निर्णय दिनांक 05.09.2005 से आहत होकर यह अपील पेश की गई है जिसमें दफा 5 का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है। चूंकि उक्त नामान्तकरण बिना अपीलाण्टस को नोटिस दिए, बिना सुने दर्ज किया गया है इसलिए यह संभावित है कि अपीलाण्टस को उक्त नामान्तकरण की जानकारी ना हो। तथा जानकारी होने पर नामान्तकरण मय दफा 5 प्रार्थना पत्र अपीलाण्टस द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया गया है। इसलिए अपीलाण्टस द्वारा पेश दफा 5 प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

ग्राम पंचायत टोरडा द्वारा दर्ज नामान्तकरण संख्या 971 निर्णय दिनांक 05.09.2005 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त नामान्तकरण नाथूलाल, बाबूलाल, चेतन कुमार तथा तीजो द्वारा बेचान किए जाने से रूकमणी देवी के पक्ष में दर्ज किया गया है। इससे पूर्व विवादित भूमि के संबंध में ही ग्राम पंचायत टोरडा द्वारा नामान्तकरण

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

संख्या 668 विरासतन नामान्तकरण दर्ज किया गया है जिसमे सभी विधिक वारिसान के नाम नामान्तकरण दर्ज नहीं किया गया है। रेस्पोडेण्टस द्वारा भी पत्रावली पर उपलब्ध सजरे खानदान के संबंध में कोई आपत्ति पेश नहीं की है जिससे यह स्पष्ट है कि सजरा खानदान भी सही है एवं अपीलाण्टस कल्याण सहाय की विधिक वारिस है लेकिन ग्राम पंचायत टोरडा द्वारा मूल विरासतन नामान्तकरण संख्या 668 दर्ज करते समय कल्याणसहाय के वारिसान में से अपीलाण्टस तथा सरोज, विमला के नाम नामान्तकरण दर्ज नही किया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत भी पुत्रियों को अपने पिता की भूमि एवं सम्पत्ति में कानूनन हक एवं अधिकार प्राप्त है। इसलिए उक्त नामान्तकरण में सभी वारिसान के नाम नामान्तकरण दर्ज नहीं किया जाना न्यायोचित नहीं है। तथा कानूनन पिता की सम्पत्तियों पर पुत्रियों का भी समान हक एवं अधिकार है फिर भी ग्राम पंचायत ने अपीलाण्टस के नाम नामान्तकरण नहीं करके कानून गलती की है इसलिए निर्णय निरस्तनीय है। उक्त मूल विरासतन नामान्तकरण के बाद नाथूलाल, बाबूलाल, चेतन कुमार पिसरान कल्याण सहाय व तीजो बेवा कल्याण सहाय ने भूमि का बेचान रूकमणी को कर दिया जिसका नामान्तकरण संख्या 971 भरा गया। पत्रावली एवं उभयपक्ष अधिवक्ता के अभिवचनों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि न्यायालय हाजा में में ही विवादित भूमि के मूल विरासत नामान्तकरण संख्या 668 पेश की है जिसे न्यायालय हाजा द्वारा निरस्त किया गया है ऐसी स्थिति में जब मूल नामान्तकरण निरस्त किया जा चुका है इसलिए मूल नामान्तकरण के पश्चात दर्ज की गई सभी प्रविष्टिया भी निरस्त योग्य है तथा मूल नामान्तकरण के पुनः निर्णय पश्चात पुनः दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

अतः विवादित भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत टोरडा द्वारा निर्णित नामान्तकरण संख्या 971 निर्णय दिनांक 05.09.2005 खारिज किया जाता है। तथा तहसीलदार बहरावण्डा को इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि विवादित भूमि के संबंध में मूल विरासतन नामान्तकरण संख्या 668 तथा 971 पर पुनः विधिवत सभी पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए कर पुनः निर्णय पारित करें। तहसीलदार बहरावण्डा को पालना तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला कलक्टर सिकराय जिला-दौसा (राज.)

(डॉ0 नवनीत कुमार R.A.S.)
हस्ताक्षर एवं मुद्रा
उपखण्ड अधिकारी सिकराय

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा